न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 03 / 2018 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 02.01.2018	तारीख फैसला 19.01.2018

उनवान

मानकंवर पत्नि कानसिंह राजपूत निवासी रलायता तह0 फूलियाकलां

– प्रार्थिया

बनाम

1– गोपालसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
2– रूपसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
3– नटवरसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
4– शम्भूसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
5– गजराजसिंह पिता नन्दसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
6– नरेन्द्रसिंह पिता नन्दसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
7– नौसरकंवर पत्नि नन्दसिंह राजपूत निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
8– रामनाथ पिता हजारी जाट निवासी हुकमपुरा का खेड़ा (शिवपुरा)
9– किशन पिता देबी खाती निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
10–बनवारी पिता देबी खाती निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
11–लादी पत्नि देबी खाती निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
12–छीतर पिता जुवारा गुर्जर निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
13–मेवा पिता जुवारा गुर्जर निवासी रलायता त0 फूलियाकलां
14–सोजी पिता जुवारा गुर्जर निवासी रलायता त0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 207 आ0न0 373 रकबा 0.27 है0, आ0न0 374 रकबा 0.01 है0, आ0न0 375 रकबा 0.08 है0, आ0न0 376 रकबा 0.23 है0, आ0न0 377 रकबा 0.63 है0 कुल किता 05 रकबा 1.22 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 लगायत 14 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थिया की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 14 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 14 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थिया ने विपक्षी संख्या 08 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहने से उसके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रार्थिया के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता संवत 2071 से 74 खाता संख्या 207 आ0न0 373 रकबा 0.27 है0, आ0न0 374 रकबा 0.01 है0, आ0न0 375 रकबा 0.08 है0, आ0न0 376 रकबा 0.23 है0, आ0न0 377 रकबा 0.63 है0 कुल किता 05 रकबा 1.22 है0 की प्रार्थिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 207 आ0न0 373 रकबा 0.27 है0, आ0न0 374 रकबा 0.01 है0, आ0न0 375 रकबा 0.08 है0, आ0न0 376 रकबा 0.23 है0, आ0न0 377 रकबा 0.63 है0 कुल किता 05 रकबा 1.22 है0 की प्रार्थिया के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 500/– (अक्षरे पॉच सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकला (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 02 / 2018 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 02.01.2018	तारीख फैसला 19.01.2018

उनवान

गोपाल पिता बजरंग तेली निवासी मोतीपुरा त0 फूलियाकलां

– प्रार्थी

बनाम

1– रामेश्वर पिता पन्ना खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)त0 फूलियाकलां
2– चतुर्भुज पिता पन्ना खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)त0 फूलियाकलां
3– श्रवण पिता हरदेव खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)त0 फूलियाकलां
4– प्रहलाद पिता रामजस खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)
5– महावीर पिता रामजस खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)
6– रामचन्द्र पिता रघुनाथ खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)
7– छोटू पिता रघुनाथ खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)त0 फूलियाकलां
8– गोपाल पिता रघुनाथ खारोल निवासी दौलतपुरा (बालापुरा)
9– सत्यनारायण पिता श्रवण तेली निवासी मोतीपुरा तह0 फूलियाकलां
10–रामस्वरूप पिता कल्याण तेली निवासी मोतीपुरा तह0 फूलियाकलां
11–भैरू पिता जेठू तेली निवासी मोतीपुरा तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 67 आ0न0 538 रकबा 0.86 है, कुल किता 01 रकबा 0.86 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 11 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय

व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः दिनांक 19.01.2018 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल बालापुरा संवत 2071 से 74 खाता संख्या 67 आ0न0 538 रकबा 0.86 है, कुल किता 01 रकबा 0.86 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 67 आ0न0 538 रकबा 0.86 है, कुल किता 01 रकबा 0.86 है0 का प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 400/— (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ

तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाडा